



dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फ़ैक्स नं०-01360-275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्राक-1516/12-1 दिनांक, चकराता 31 अक्टूबर 2019

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:-

Permission for laying Optical Fiber Cable from Sahiya Kakari to Mailoth and Shri Kyari to Mailoth (Total Length-68.702 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.372 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भ :-

1-प्रस्ताव संख्या- FP/UK/OFC/42004/2019

2-आपका ई०डी०एस० दि० 30-10-2019।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में विषयगत प्रस्ताव में लगाई गई आपत्ति की निराकरण आख्या ऑनलाईन निम्नानुसार है -

S.No	Shortcomings	Report/Resolved
1	whether Right-of-Way was sectioned under Forest clearance before construction of this road in which laying of OFC is being proposed. if yes, DFO may upload the related documents at additional information details of online part II.	प्रभाग अन्तर्गत मार्ग के किनारे प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने वाले हया-अलसी-ककाडी मोटर मार्ग निर्माण भारत सरकार की पत्र सं०-जी०आई०-17277-1-2008-600(1918)/2007 दि० 18.06.2008 द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्राप्त है। जिसकी प्रति भाग-2 में Additional information Details के क०सं०-1 में ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।

अतः आख्या ऑनलाईन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

NEW 3583